मूल वाद में अन्तिम डिक्री

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी निम्बाहेड़ा

पीठासीन अधिकारीः– चन्द्रशेखर भण्डारी, RAS

प्रकरण सं. 141/2020 वाद

हनिफ खां पिता अकबर खां मुसलमान, आयुवयस्क, निवासी नई आबादी, मेवाती मोहल्ला, निम्बाहेड़ा तहसील निम्बाहेड़ा जिला चित्तौडगढ़।

– वादी

//बनाम//

1. सलीम खां पिता सुब्राती खां मुसलमान, आयु वयस्क, निवासी नई आबादी, मेवाती मोहल्ला, निम्बाहेड़ा।
2. मोहम्मद हुसैन पिता छोटे खां मुसलमान, आयु वयस्क, निवासी मकान नं. 50, मस्जिद के पीछे वाली गली, रजा कॉलोनी, निम्बाहेड़ा।
3. बफाती खां उर्फ वकती खां पिता छोटे खां मुसलमान, आयु वयस्क, निवासी रजा कॉलोनी, निम्बाहेड़ा, तहसील निम्बाहेड़ा।
4. उप पंजीयक, निम्बाहेड़ा, तहसील निम्बाहेड़ा।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, निम्बाहेड़ा।

– प्रतिवादीगण

दावा

अन्तर्गत धारा 53, 88, 188, 209 रा.का.अधि.

प्रकरण में आज दिनांक 23.12.2020 को वादी की ओर से अधिवक्ता श्री अबरार अहमद तथा प्रतिवादीगण की ओर से अधिवक्ता श्री राजेश कुमार खटीक की उपस्थिति में पत्रावली राजीनामें अनुसार प्राथमिक डिक्री की जाकर तहसीलदार निम्बाहेड़ा को 500/– रूपये फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया गया था तथा विवादित भूमि मौजा करथाना की खाता संख्या 309 की आराजी नं. 169 रकबा 2.5900 हैक्टेयर भूमि में वादी का 1/3, प्रतिवादी संख्या 1 का 1/3, प्रतिवादी संख्या 2 व 3 का संयुक्त रूप से 1/3 हक हिस्सा घोषित करते हुए कंचन का नाम विलोपित करने का आदेश दिया गया था और इसी अनुसार फर्द विभाजन सूची प्रस्तुत करने के आदेश दिये गये थे। तहसीलदार निम्बाहेड़ा ने अपने पत्रांक/टीआरए/449, दिनांक 17.02.2021 के माध्यम से फर्द विभाजन प्रस्ताव प्रस्तुत किये हैं जो माफिक आदेशानुसार है।

अतः वाद वादी कतई डिक्री किया जाता है। विवादित भूमि वाके मौजा करथाना की खाता संख्या 309 की आराजी नं. 169 का बंटवारा फरिकेन के मध्य निम्नानुसार किया जाता है:–

Signature Not Verified
Digitally signed by Chandra Shekhar Bhandari
Date: 2021.03.17 17:36:06 IST
Reason: SelfAttested

1– हनिफ खां पिता अकबर खां मुसलमान नि. नई आबादी मेवाती मोहल्ला, निम्बाहेड़ा के रहेगीः–

आराजी नं.	रकबा हेक्टेयर में	लगान रूपये में
169 पूर्वी पश्चिमी दिशा	0.8700	22.19

2- सलीम खां पिता सुब्राती खां मुसलमान, सा. नई आबादी, मेवाती मोहल्ला, निम्बाहेड़ा के रहेगीः-

आराजी नं.	रकबा हेक्टेयर में	लगान रूपये में
169 पूर्वी दक्षिणी दिशा	0.8600	21.93

3- मोहम्मद हुसैन पिता छोटे खां, बकाती उर्फ वकती खां पिता छोटे खां मुसलमान, सा. नई आबादी, मेवाती मोहल्ला, निम्बाहेड़ा के रहेगीः-

आराजी नं.	रकबा हेक्टेयर में	लगान रूपये में
169 उत्तरी पूर्वी	0.8600	21.93

उपर्युक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जावे। खर्चा फरिकेन अपना अपना वहन करें। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

यह आज तारीख 22.02.2021 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

22/2/21

(चन्द्रशेखर भण्डारी)
उपखण्ड अधिकारी,
निम्बाहेड़ा

उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेड़ा (राज.)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Signature Not Verified

Digitally signed by Chandra Shekhar Bhandari
Date: 2021.03.17 17:36:06 IST
Reason: SelfAttested